न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
133 / 2013	17.12.2013	30.03.2021

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता मथुरालाल पलोड़, आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
2. बद्रीप्रसाद पिता मथुरालाल पलोड(महाजन), आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता गोपाल चोटीया आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
2. भेरूलाल पिता शंकरलाल चोटीया आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
3. रतनलाल पिता कालू चोटीया आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
4. जानीबाई बेवा मोतीलाल चोटीया आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
5. मोहनलाल पिता उदा चोटीया आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
6. राधेश्याम पिता नंदकिशोर गुर्जर आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
7. मिठूलाल पिता जीतमल जाट आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
8. कृष्णगोपाल पिता मथुरालाल पलोड आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
9. मुरलीधर पिता सोहनलाल पलोड़ आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
10. सत्यनारायण पिता सोहनलाल पलोड़ आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
11. सुरेशचन्द्र पिता सोहनलाल पलोड़ आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
12. मुकेशचन्द्र पिता सोहनलाल पलोड़ आयु वयस्क निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ
13. गंगादेवी पत्नी दामोदरलाल तोषनीवाल, आयु वयस्क नि0 उदयपुर, पताः— बड़ी माहेश्वरियों की सेहरी, धानमण्डी, उदयपुर
14. ललितादेवी पत्नी दिलीप एम0 शाह(मण्डोवरा) आयु वयस्क निवासी 25—ए, तिरूपतिनगर, एम0आई0जी0फ्लैट्स के पीछे, करैली—बाग, बडौदा(गुजरात)
15. कैलाशदेवी पत्नी शंकर न्याती, आयु वयस्क नि0 चित्तौडगढ(राज.) पताः— बाटा हाउस, मीरानगरी, चित्तौडगढ
16. कंचन पत्नी कमलेश धुपड़, 228 / 15, अशोक नगर, माया मिष्ठान्न के पीछे, उदयपुर
17. आशा पत्नी रामभगत दाखेड़ा, आयु वयस्क, [illegible]प्रसाद भण्डारी, 294—आर0 के0 कॉलोनी(बी) भीलवाड़ा(राज0)
18. अनिता पत्नी भुवनेश बांगड आयु वयस्क [illegible] के0, सूरजपोल रोड, चम्पालाल जी की धर्मशाला के सामने उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:03 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी — प्रार्थीगण

एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2064–2067 के खाता संख्या 1665 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4546, 4548, 6683, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6814 / 6754, 6815 / 6755 कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 8 से 18 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और शेष अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थीगण 1 व 7 के वारिसान की तलवी हो चुकी है। बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण 1 व 7 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। शेष अप्रार्थीगण की पूर्व में एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है। इस पर हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2064–2067 के खाता संख्या 1665 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 4546, 4548, 6683, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6814 / 6754, 6815 / 6755 कृषि भूमि की फरीकान मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800 / –

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:03 IST
Reason: SelfAttested

रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:03 IST
Reason: SelfAttested